प्रदर्शन में निरंतरता को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि मेरे मामले में पिछले चयन चक्र के मुकाबले अलग-अलग पैमाने और बातों को ध्यान में रखा गया। अगर वही नियम लागू होने थे जो पिछले एशियन गेम्स के चयन में लागू हुए थे।

– मनिका बत्रा

भारतीय टेनिस खिलाड़ी, मुख्य टीम में शामिल नहीं किये जाने पर।

आज का खिलाड़ी — नीरज चोपड़ा

भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेलों को डोपिंग मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं के खतरों के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ और नीरज चोपड़ा फाउंडेशन के बीच क्लीन स्पोर्ट्स अभियान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्या आप जानते हैं ?... पुरुषों के लिए पहला फुटबॉल फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था जबकि महिला टूर्नामेंट 1991 में शुरू हुआ था।

नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला पहला देश बना मेक्सिको, दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया

नई दिल्ली, 19 जून। फीफा विश्व कप 2026 में मेजबान मेक्सिको ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया और नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल लुइस रोमो ने दूसरे हाफ में किया। यह गोल दक्षिण कोरिया के गोलकीपर किम स्युंग-ग्यु की बड़ी गलती के बाद आया।

दूसरे हाफ के पांचवें मिनट में मेक्सिको ने बढ़त बनाई, जब एक क्रॉस को पकड़ने के प्रयास में किम अपने ही साथी खिलाड़ी से टकरा गए और गेंद उनके हाथ से छूट गई। मौके का फायदा उठाते हुए रोमो ने बिना किसी गलती के गेंद को खाली गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। गोल खाने के बाद दक्षिण कोरिया ने वापसी की कोशिश की। हालांकि किम ने बाद में शानदार बचाव करते हुए राउल जिमेनेज को दूसरा गोल करने से रोक दिया। मुकाबले के अंतिम क्षणों में दक्षिण कोरिया को बराबरी का मौका मिला, लेकिन मेक्सिको के गोलकीपर राउल रांजेल ने यांग ह्युन-जुन के प्रयास को शानदार तरीके से रोककर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ मेक्सिको छह अंकों के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा और अगले दौर में पहुंच गया। अब मेक्सिको अगले मुकाबले में बुधवार को एस्तादियो अज़्टेका में चेकिया का सामना करेगा। वहीं दक्षिण कोरिया, जिसके तीन अंक हैं, अपने अगले मुकाबले में मॉन्टेरी में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा।

कनाडा से 6-0 की हार के बाद फूट-फूटकर रोया कतर का गोलकीपर, विरोधी खिलाड़ी ने पोंछे आंसू

नई दिल्ली, 19 जून। कतर की विश्व कप में कनाडा के हाथों करारी हार से उसके खिलाड़ी और सरकारी खर्चे पर यहां पहुंचे 1000 से अधिक प्रशंसक निराश हो गए तथा अंतिम सीटी बजने के बाद गोलकीपर महमूद अबुनादा फूट-फूटकर रोने लगे, जिन्हें कनाडा के जैकब शैफेलबर्ग ने सांत्वना दी। कतर के कोच जुलेन लोपेटेगुई ने कहा, "यह एक कठिन मैच था, क्योंकि इसमें हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा।

सब कुछ गलत हुआ। फुटबॉल में कभी-कभी ऐसा होता है।" कतर को दूसरे हाफ के अधिकांश समय नौ खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा क्योंकि उसके दो खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया था। आखिर में उसे 6-0 से हार का सामना करना पड़ा, जो फारस की खाड़ी के इस देश की विश्व कप इतिहास में सबसे बुरी हार है। कतर ने 2022 में मेजबान के रूप में टूर्नामेंट में पदार्पण किया था और तब उसे इक्वाडोर से 2-0, सेनेगल से 3-1 और नीदरलैंड से 2-0 से हार मिली थी। कतर ने इस मैच में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष चार्टर्ड विमान से लगभग 1000 प्रशंसकों को यहां भेजा था। खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि वह उन्हें खुशियां मनाने का मौका देंगे लेकिन सब कुछ इसके उल्टा हुआ।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 34 — **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** — दिनांक : 18.6.2026

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या 108 विस्तार न्यू हाडौती स्टोन मण्डी (राम नगर्नु योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 872 दिनांक 16.09.2002 द्वारा मै. राजस्थान सैल्स कार्पोरेशन प्रो. विजय कुमार भंसाली पुत्र श्री मांगीलाल भंसाली को आवंटन किया गया था। अवंटी विजय कुमार भंसाली की मृत्यु दिनांक 19.04.2019 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात स्व. विजय कुमार भंसाली के वसीयत धारक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास को आवेदक श्री सुनील विजयवर्गीय पुत्र श्री कुंजबिहारी विजयवर्गीय द्वारा अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या-108 विस्तार न्यू हाडौती स्टोन मण्डी (राम नगरी योजना का नाम हस्तान्तरण नियमानुसार आवेदक श्री सुनील विजयवर्गीय पुत्र श्री कुंजबिहारी विजयवर्गीय के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 37 — **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** — दिनांक : 19.6.2026

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा दुकान/भूखण्ड संख्या-219 राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना का आवंटन / नामहस्तारण क्रमांक 372 दिनांक 17.01. 2020 को श्रीमति प्रतिभा जैन पत्नि श्री धनराज जैन को जारी किया गया था। श्रीमति प्रतिभा जैन की मृत्यु दिनांक 15.11.2025 को हो जाने के उपरांत विधिक वारिसान / वसीयत / हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर श्री प्रतीक जैन पुत्र श्री धनराज जैन द्वारा उक्त भूखंण्ड / दुकान को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / दुकान संख्या-219 राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री प्रतीक जैन पुत्र श्री धनराज जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर परिषद, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)

क्रमांक:न.प.हि./राजकाज रेफ. नं. — लोक सूचना — दिनांक:-19.06.26

क्र.सं.	नाम	पता
1	श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर	हिण्डौन सिटी

ने कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारों के निर्वापन के लिए शहरी सेवा शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	जिला एवं तहसील	ग्राम/कस्बा का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है./ऐयर)
1	करौली/हिण्डौन	हिण्डौन ABCD	10627/1198	0.0162

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (80) सुमोटो और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-2 किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेज के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-2 किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 19.6.26 को जारी की गयी।

आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/657 — **विज्ञप्ति** — दिनांक : 18.6.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी खसरा नं. 340 में स्थित कृषि भूमि योजना गणपति रेजिडेन्सी भूखण्ड संख्या 45 आवेदक/आवेदिका श्रीमती रंजना माहेश्वरी पत्नि स्व. श्री अशोक माहेश्वरी निवासी सी-53, तलवण्डी कोट द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 189 दिनांक 05.07.2017 को अशोक माहेश्वरी पुत्र श्री रामप्रसाद बंग के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 14.09.2020 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान माता लीला देवी बंग, पुत्र आयुषी माहेश्वरी, पत्नि रंजना माहेश्वरी है। वारिसान लीला देवी यंग, आयुषी माहेश्वरी, द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 12.06.2025 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती रंजना माहेश्वरी पत्नि स्व. श्री अशोक माहेश्वरी के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 18 — **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** — दिनांक : 8.6.2026

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की राजीव गांधी नगर आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास/दुकान संख्या 255 का आवंटन प्राधिकरण के आवंटन / नामहस्तांतरण पत्र क्रमांक 3082 दिनांक 15.12.2003 को श्रीमति सरोज गुप्ता पत्नि श्री सत्यनारायण गुप्ता को आवंटन / नामहस्तांतरण किया गया था। आवंटी श्रीमति सरोज गुप्ता कि मृत्यु दिनांक 09.08. 2025 को हो चुकी थी। अतः प्रस्तुत किये गये शपत पत्र, वसीयत, हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त दुकान का नाम हस्तांतरण चाहने हेतु श्री जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता द्वारा आवेदन किया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास / दुकान संख्या 255 योजना राजीव गांधी नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/666 — **विज्ञप्ति** — दिनांक : 18.6.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब योजना ''रॉयल विला'' खसरा नं. 242/1 में स्थित भूखण्ड संख्या 36 के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री आदित्य मीणा पुत्र श्री रमेश कुमार मीणा निवासी कोटा बारां रोड बस स्टेंड अन्ता बारां राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 402 दिनांक 02.10. 2021 को श्रीमती कामिनी मीणा पत्नि श्री रमेश कुमार मीणा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 25.10.2025 को हो चुकी हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं रजि. हकत्याग पत्र अनुसार मृत्क के विधिक वारीसान पति रमेश मीणा, पुत्र आदित्य मीणा, पुत्री सूर्याशी मीणा है। वारिसान रमेश कुमार मीणा व सूर्याशी मीणा द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 24.12.2025 से आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री आदित्य मीणा पुत्र श्री रमेश कुमार मीणा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/630 — **विज्ञप्ति** — दिनांक : 13.6.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयाखेडा खसरा नं. 123 में स्थित कृषि भूमि योजना ज्ञान सरोवर कॉलोनी भूखण्ड संख्या डी-25 आवेदक/आवेदिका सीमा दाधीच पुत्री श्री गोविन्द प्रसाद दाधीच निवासी ग्राम पोस्ट बनेठिया वाया सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा हाल नि. ई-210, पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट नान्ता कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 644 दिनांक 19.07.2013 को श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री झामन दास के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये नोटेरी शुद्धा मुख्तारआम दिनांक 23.04.2014 से श्रीमती दया बाई पत्नि श्री खुशीराम को नियुक्त किया गया है। मुख्तारआम द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजिद्र विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2022 को आवेदको के पक्ष में किया गया है।

अतः सीमा दाधीच पुत्री श्री गोविन्द प्रसाद दाधीच के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/667 — **विज्ञप्ति** — दिनांक : 18.6.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बोरखण्डी योजना ''श्रीनाथ नगर-ए'' खसरा नं. 20 में स्थित भूखण्ड संख्या 47 के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री रमेश कुमार मीणा पुत्र श्री बंशी लाल मीणा निवासी कोटा बारां रोड़, बस स्टेण्ड अन्ता, बारां राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 47 का पट्टा क्रमांक 9265 दिनांक 21.03.2011 को श्रीमती कामिनी मीणा पत्नि श्री रमेश मीणा के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीमती कामिनी मीणा की मृत्यु दिनांक 25.10.2025 को हो चुकि हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिक वारियसान शपथ पत्र अनुसार मृतक के विधिक वारीसान (1) रमेश मीणा (पति) (2) आदित्य मीणा (पुत्र) (3) सूर्याशी मीणा (पुत्री) है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रड हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के अनुसार श्री आदित्य मीणा एवं सूर्याशी मीणा ने अपना हक त्याग कर भूखण्ड अपने पिता श्री रमेश मीणा के नाम कर दिया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 1. विधिक वारिसान शपथ पत्र 2. मृत्यु प्रमण पत्र 3. हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर आवेदक के नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

अतः श्री रमेश कुमार मीणा पुत्र श्री बंशी लाल मीणा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ/ तहसील/ क.ब./2026/1270 — दिनांक : 19.6.26

नाम हस्तांतरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 308-बी कच्ची बस्ती संजय गांधी नगर का पट्टा नियमन क्रमांक नियम / आवंटन / 181 दिनांक 08.06.1990 को श्री बैजनाथ पुत्र काशीराम को आवंटित किया गया था। आवंटी बैजनाथ का स्वर्गवास दिनांक 20.08.2016 को हो जाने के कारण नोटेरी शुदा वसीयत नामा पत्र दिनांक 07.01.2017 से शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नि सुरेश कुमार गुप्ता ने स्वंय के नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।

अतः उक्त नाम हस्तानांतरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तानांतरण श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नि सुरेश कुमार गुप्ता के नाम से कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अनिल कुमार यादव था अब मैंने अपना नाम बदलकर अनिल कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे।

अनिल कुमार

आम सूचना

श्री कुन्दन यादव पुत्र श्री रामप्रसाद यादव, निवासी मकान नं. 3-डी-13, दादाबाड़ी विस्तार योजना, कोटा (राज.) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान नं. 3-डी-13, दादाबाड़ी विस्तार योजना, कोटा (राज.) को विक्रय करने के लिये श्री रूपा गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर, निवासी भील मोहल्ला, रथ कांकरा, ग्राम बलिण्डा, बोराबास, तह. लाडपुरा, जिला कोटा से इकरार किया है। क्रेता श्री रूपा गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर उक्त मकान को क्रय करने के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटा में साम्यक् बंधक रखने के लिये आवेदन किया है। उक्त मकान श्री कुन्दन यादव पुत्र श्री रामप्रसाद यादव के द्वारा श्री जगदीश कुमार यादव पुत्र श्री गोविन्द राम यादव, निवासी मकान नं. 623, बसन्त विहार, कोटा से जरिये विक्रय पत्र तारीखी 02.03. 2007 से क्रय किया गया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा द्वितीय में दिनांक 05.03. 2007 को हो रहा है। उक्त मकान से संबंधित असल आवंटन पत्र क्रमांक 11093 दिनांक 27.12.1980, जो कि राजस्थान आवासन बोर्ड, के द्वारा श्री जगदीश कुमार यादव के पक्ष में निष्पादित किया गया था, असल उपलब्ध नहीं है एवं गुम होना बताया गया है, जिसकी संबंधित थाने में इन्फोर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित असल आवंटन पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में मुझे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा

दिनांक

भवदीय

राजेश यादव, एडवोकेट

श्रीफलम, केशवपुरा, रंगबाड़ी मैन रोड़, कोटा, राज. 324009

मो. नं. 9414180334

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हेमन्त कुमार मीणा पुत्र श्री उमाशंकर मीणा, निवासी 72, बैरवा बस्ती, ग्राम देंगनिया, तह. सांगोद, जिला कोटा द्वारा मकान नं. 907, बालाजी नगर आवासीय योजना, कोटा (राज.) को खरीदने बाबत् करार श्रीमती मन्जू बम्बेरवाल पत्नी श्री गिरिराज बम्बेरवाल, निवासी सी-561, इन्द्रा विहार, तलवण्डी, कोटा से किया हुआ है।

यह कि उक्त मकान से संबंधित असल विकय पत्र दिनांक 26.06.2006, जो कि श्री मुबारिक खान पुत्र श्री अब्दुल हकीम, निवासी आनन्दपुरा केशर रोड़, कोटा के द्वारा श्री कस्तूर चंद पुत्र श्री रामचंद, निवासी ग्राम रेलगांव, तह. दीगोद, जिला कोटा के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटा में दिनांक 26.06.2006 को पुस्तक सं. 1. जिल्द सं. 43, पृष्ठ सं. 110, क्रम सं. 2006001734 पर को हो रहा है, उक्त विकय पत्र कहीं गुम हो जाना बताया गया है एवं असल उपलब्ध नहीं है।

अतः हर आम व खास व वित्तीय संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मकान नं. 907, बालाजी नगर आवासीय योजना, कोटा (राज.) से संबंधित असल विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2006 के संबंध में एवं उक्त मकान को विकय किये जाने के संबंध में कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी प्रकार का हित रखता हो या आपत्ति रखता हो तो वह अपनी आपत्ति मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष लिखित में प्रस्तुत करें, बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा

दिनांक 19.6.26

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट

मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय, कोटा राज.

मो. 94148-02953

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हितेश कुमार भड़ाना पुत्र श्री नाथूराम, निवासी 118, सामुदायिक केन्द्र के पास, केशवपुरा, सेक्टर-7 कोटा द्वारा मकान नं. 21, कृष्णा नगर, रंगबाड़ी, कोटा को खरीदने बाबत् करार श्रीमती हेम कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह निवासी मकान नं. 21, कृष्णा नगर, रंगबाड़ी, कोटा से किया हुआ है।

यह कि उक्त प्लॉट नं. 21. कृष्णा नगर, रंगबाड़ी, कोटा श्री सुमित मीणा के पिता श्री कृष्ण मोहन को नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा आवंटित किया गया था, जिसकी लीज डीड उनके पक्ष में दिनांक 30.07.13 को निष्पादित की गई, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 30.07.13 को हो रहा है। श्री कृष्ण मोहन के स्वर्गवास के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी श्रीमती सुगना बाई पत्नी स्व. कृष्ण मोहन, श्रीमती प्रतिभा पुत्री स्व. कृष्ण मोहन श्री पंकज मीणा एवं श्री सुमित मीणा पिसरान् स्व. कृष्ण मोहन उक्त सम्पत्ति के स्वामी बनें। इसके पश्चात् श्रीमती सुगना बाई, श्रीमती प्रतिभा एवं श्री पंकज मीणा द्वारा उक्त सम्पत्ति में निहित अपने-अपने अविभाजित हिस्से का हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 24.11.2022 से श्री सुमित मीणा के पक्ष में किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 24.11.2022 को हो रहा है। तत्पश्चात् श्री सुमित मीणा द्वारा उक्त प्लॉट का विक्रय श्रीमती हेम कंवर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2023 से विक्रय किया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 21.03.2023 को हो रहा है। तत्पश्चात् नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा उक्त मकान का नाम हस्तांतरण जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 105 दिनांक 30.05.2023 के द्वारा किया गया है। तब से ही विक्रेता उक्त मकान की मालिक व काबिज चली आ रही है। उक्त सम्पत्ति पूर्व से ही महिन्द्रा होम फाईनेन्स, कोटा में रहन है।

अतः हर आम व खास व वित्तीय संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त उक्त मकान नं. 21, कृष्णा नगर, रंगबाड़ी, कोटा को श्रीमती हेम कंवर के द्वारा विक्रय किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा

दिनांक 19.6.26

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट

मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय, कोटा राज.

मो. 94148-02953

इंडिया-ए टीम पर अनुशासन का डंडा! वैभव और तिलक पर लटकी तलवार

नई दिल्ली, 19 जून। चल रही ट्राई-नेशन सीरीज़ के दौरान श्रीलंका के एक क्रिकेटर के साथ झगड़े के कारण भारत के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर उनकी मैच फ़ीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है, और कप्तान तिलक वर्मा पर भी कार्रवाई हो सकती है। डाम्बुला में सोमवार को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच हुए मैच के दौरान हुई घटनाओं के बाद, सूर्यवंशी और विशन हलंबागे पर उनकी मैच फ़ीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाने की सिफ़ारिश की गई है, जबकि वर्मा पर 30 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने श्रीलंका ए के विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला पर भी 20 प्रतिशत जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। हह कार्रवाई एक घटना के बाद की गई है जिसमें मैच खत्म होने के बाद सूर्यवंशी को विशन हलाम्बेज और श्रीलंका के कई अन्य क्रिकेटरों के साथ तीखी बहस करते देखा गया था। यह मैच काफी कड़ा मुकाबला था, लेकिन इसका अंत बहुत खराब तरीके से हुआ। सूर्यवंशी को हलाम्बेज को धक्का देते हुए भी देखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, टूर्नामेंट की शुरुआत से ही श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर सूर्यवंशी और उनके इंडिया ए के कुछ साथियों की स्लेजिंग कर रहे थे और अक्सर आईपीएल में उनके प्रदर्शन को लेकर उनका मज़ाक उड़ाते थे।

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी-20 में बांग्लादेश को 7 रन से हराया

चटगांव, 19 जून। ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को सात रन से हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ढाका में एकदिवसीय श्रृंखला में मिली हार का हिसाब बराबर किया और साथ ही वर्ष 2021 के बाद पहली बार बांग्लादेश की धरती पर टी-20 श्रृंखला जीतने में सफलता हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक मैट रेनशॉ रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 89 रन बनाए। उन्होंने टिम डेविड (45 रन, 26 गेंद) के साथ चौथे विकेट के लिए केवल 50 गेंदों में 97 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शुरुआती झटकों के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पावरप्ले में तीन विकेट गंवा दिए। हालांकि रेनशॉ और डेविड की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। अंतिम ओवरों में रेनशॉ और जोएल डेविस ने तेज रन जोड़कर टीम को 20 ओवर में 197/5 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 36 — **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** — दिनांक : 19.6.2026

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा दुकान/भूखण्ड संख्या-324 राजीव गांधी नगर योजना का आवंटन/नामहस्तारण क्रमांक 535 दिनांक 15.12.2003 को श्रीमति सुशीला जैन पत्नि स्व. श्री पारस चन्द्र जैन को जारी किया गया था, जिसका कार्यालय आदेश जारी कर उक्त भूखण्ड श्रीमति सुशीला जैन एवं श्री प्रमोद कुमार जैन को संयुक्त रूप से जारी किया गया था। श्रीमति सुशीला जैन की मृत्यु दिनांक 21.07.2025 को हो जाने के उपरांत विधिक वारिसान/वसीयत/हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पारस चन्द्र जैन एवं श्रीमति चन्द्र कला जैन पत्नि श्री प्रमोद कुमार जैन द्वारा उक्त भूखण्ड/दुकान को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/दुकान संख्या-324 राजीव गांधी नगर योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पारस चन्द्र जैन एवं श्रीमति चन्द्र कला जैन पत्नि श्री प्रमोद कुमार जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 2 — **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** — दिनांक : 19.06.2026

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीनाथपुरम-सी स्पेशल पुनर्वास योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 10 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 17.09.2001 को श्री मोहनलाल पुत्र श्री हीरालाल के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री मोहनलाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये इकरारनामा दिनांक 08.07.2009 द्वारा श्रीमती बादाम बाई पत्नी श्री शिवनारायण मेहता को विक्रय कर दिया गया है क्रेता श्रीमती बादाम बाई की मृत्यु दिनांक 29.10.2023 को एवं उनके पति श्री शिवनारायण मेहता की मृत्यु दिनांक 29.01.2013 हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त क्रेता के विधिक वारिसान श्री गजेन्द्र कुमार मेहता पुत्र स्व. श्री शिवनारायण मेहता द्वारा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., वारिसान शपथ पत्र, हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 10 योजना श्रीनाथपुरम-सी स्पेशल पुनर्वास का नाम हस्तान्तरण श्री गजेन्द्र कुमार मेहता पुत्र श्री स्व. शिवनारायण मेहता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

जयपुर के मनोज दासोत राजस्थान बैडमिंटन संघ उपाध्यक्ष निर्वाचित

जयपुर, 19 जून। आज भीलवाड़ा में संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव में जयपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव मनोज दासोत राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्हें पुनः राजस्थान बैडमिंटन के उपाध्यक्ष बनने पर जयपुर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अनिल मेहता व कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बधाई दी।

आरोही और शौर्य भार्गव ने अंडर-17 डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जीती

जयपुर, 19 जून। अंडर-17 ज़िला चयन टूर्नामेंट में आरोही शर्मा और शौर्य भार्गव नए विजेता बनकर उभरे। टूर्नामेंट की शुरुआत में 5वीं वरीयता प्राप्त आरोही और शौर्य ने क्रमशः लड़कियों के वर्ग में कैवल्य गोयनका और गहना अजमेरा को तथा लड़कों के वर्ग में गौरांश शर्मा, गर्वित शर्मा और नील मिधा को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रेसिडेंट श्रीमती आशा भार्गव, सेक्रेटरी जयेंद्र चतुर्वेदी और ट्रेज़रर मधु मेहता ने विजेताओं, उनके माता-पिता और कोचों को बधाई दी।

कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता में जयपुर, उदयपुर, सीकर व नागौर जीती

जयपुर, 19 जून। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जयपुर में खेली जा रही राज्य स्तरीय सीनियर कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता के सुपर लीग मैचों में जयपुर , उदयपुर , सीकर व नागौर ने शानदार जीत दर्ज की। आज समाप्त हुए मैचों का परिणाम :- जयपुर - बीकानेर, जयपुर पारी व 188 रनो से जीती जालोर - उदयपुर, उदयपुर पारी व 112 रन से जीती नागौर - करौली, नागौर 75 रन से जीती।

राज्य स्तरीय सीनियर वीमेन प्रतियोगिता में बाड़मेर, झुंझनू जीती - राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जयपुर, अलवर में खेली जा रही राज्य स्तरीय सीनियर वीमेन प्रतियोगिता के नौक आउट दौर के आज खेले गए मैचों में बाड़मेर व झुंझनू ने जीत दर्ज करते हुए प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया। आज खेले गए मैचों का परिणाम :- आरसीए अकादमी - बाड़मेर - हनुमागढ़, बाड़मेर 117 रनो से जीती सूरत ग्राउंड,। अलवर राजसमंद - झुंझनू, झुंझनू 6 विकेट से जीती।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की कठिनाइयों के निवारण प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु जनहित में

शहरी सेवा शिविर 2026

दिनांक-12/06/2026 से 15/07/2026 तक

शिविर स्थल-नगरपालिका सभागार, रावतभाटा

अभियान में किये जाने वाले कार्य

सामान्य कार्य

1- सफाई व्यवस्था में सुधार के कार्यवाही
2- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत नई लाइट लगवाने एवं बंद पड़ी लाइटों को चालू करवाना
3- सड़क मरम्मत / पेंच वर्क के प्रस्ताव स्वीकृत कर मौके पर कार्य करना
4- सामुदायिक केंद्र सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव का कार्य
5- विभिन्न राजकीय जनहित योजनाओं के तहत प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना
6- जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना
7- फायर एनओसी ट्रेड लाइसेंस डेयरी बूथ अनुज्ञा पत्र जारी करना
8- पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करना
9- शहर के प्रमुख चावन का रखरखाव एवं सौंदर्यकरण
10-सीवर कनेक्शन
11-नल, बिजली, ऋण, विक्रय, आदि प्रमाण पत्र

भूमि संबंधी कार्य:-

1- भवन विनय विनिमय 2025 के तहत भवन निर्माण की स्वीकृति
2- नामांतरण / नाम स्थानांतरण
3- कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन की अनुज्ञा 90A/908 एवं नियम 12 के तहत लीजिए हॉल फ्री होल्ड पट्टे
4- अवाप्त/अर्जन भूमि के बदले भूखंड का फ्रीहोल्ड पट्टा
5- लीज मुक्ति प्रमाण पत्र
6- उप विभाजन / पुनर्गठन भू उपयोग नामान्तर /खांचा भूमि / बढ़ी हुई भूमि के आवंटन / स्वीकृती आदेश के पश्चात पुराना पट्टा का समर्पण कर नया लीज होल्ड / फ्री होल्ड पट्टा
7- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे (आवंटन नीति, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट के पट्टे नियम 1974 के नियम 18 से 19 में आवंटित भूमि को छोड़कर

राज.संवाद/सी/26/5237

विवेक गरासिया
प्रशासक
नगरपालिका रावतभाटा

नगरपालिका रावतभाटा

मुकेश नागर
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रावतभाटा